

क्र.सं. दिनांक आह्ला या कार्यवाही आह्ला विस्तृत रूप से 21/12/23 मु. नं. 23/21

22/12/23

पणवणी पेडा दुई वकील उलय पश उरण बाद मे प्रति सं. पवड की ओर पेडा प्राणण 07R11 CPC स्वीकार किया जाका प्राचीण का वाद रकारण हो चुका है अब इस पणवणी पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहे जाती है अतः प्राचीण का प्राचीण पत्र जारी किया जाता है पणवणी नगवा से कळसेका बाद तकणीक मुळ काड के साथ संलग्न हो (सुगसागसा)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानर)

21/12/23

21/12/23

21/12/23

वर्ष

दिनांक आह्ला या कार्यवाही

